

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 360]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 18 अगस्त 2020 — श्रावण 27, शक 1942

सहकारिता विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 17 अगस्त 2020

अधिसूचना

क्रमांक/एफ 15-25/15-2/2020/2 . — छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 95 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

नियम 43-ख के उप-नियम (2) के परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

“परन्तु यह कि किसी भी प्रकार की सोसाइटी के मामले में, राज्य सरकार, इस उप-नियम के उपबंधों में छूट प्रदान कर सकेगी.”

No./ F 15-25/15-2/2020/2.— In exercise of the powers conferred by Section 95 of the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Co-operative Societies Rules, 1962, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

For proviso of sub-rule (2) of rule 43-B, the following shall be substituted, namely :-

“Provided that, in respect of any type of societies, the State Government may grant exemption in the provision of the sub-rule.”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रसन्ना आर., सचिव.